अध्यक्ष सह सदस्य
राजस्व पर्षद

(6)

24
12

संख्या–18/प्रशि0–01–11/2022 सा0 प्र0 ....

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रचना पाटिल, (भा.प्र.से.)
सरकार के विशेष सचिव

23.01.23

सेवा में,

महानिदेशक,
बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान,
बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक..............................

विषय :– विभागीय परीक्षा हेतु बिपार्ड, गया एवं बिपार्ड, पटना को परीक्षा केन्द्र नामित करने के संबंध में।

प्रसंग :– महानिदेशक, बिपार्ड का पत्रांक–ATI/5674 दिनांक–23.11.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्त्तो के साथ विभागीय परीक्षा हेतु बिपार्ड, गया एवं बिपार्ड, पटना को परीक्षा केन्द्र नामित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है :–

I. राजस्व पर्षद के अतिरिक्त बिपार्ड गया/पटना में परीक्षा केंद्र बनाये जाने पर महानिदेशक, बिपार्ड से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में केंद्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति राजस्व पर्षद द्वारा की जाएगी।

(अध्यक्ष-सह-सदस्य राजस्व पर्षद का कोषांग, बिहार, पटना — प्राप्ति संख्या 17, दिनांक 20-01-23)

II. केंद्राधीक्षक अपर समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे। केंद्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षक को राजस्व पर्षद द्वारा स्वीकृत मानदेय का भुगतान बिपार्ड के स्तर से किया जाएगा।

III. विभागीय परीक्षा का Live Streaming बिपार्ड के दोनो परीक्षा केंद्रों द्वारा किया जाएगा और उसका Live Link राजस्व पर्षद को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बिपार्ड की होगी।

OSD

IV. राजस्व पर्षद के अतिरिक्त बिपार्ड, गया/फुलवारी शरीफ, पटना में बनाये गये परीक्षा केन्द्र में सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी ही विभागीय परीक्षा में शामिल होंगे।

295
24-01-23

V. परीक्षा पूर्ण रूप से कदाचार मुक्त आयोजन कराने की जिम्मेदारी बिपार्ड की होगी। कदाचार में लिप्त पाये गये परीक्षार्थी पर बिपार्ड से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समुचित कार्रवाई करने हेतु राजस्व पर्षद सक्षम प्राधिकार होगा।

2023/B.K/Ltr

6

File No. AI/66/2024-EXAM-BOR (Computer No. 424655)
Generated from eOffice by DEEPAK KUMAR, BOR-ASO_EXAM(DK), ASSISTANT SECTION OFFICER, BOARD OF REVENUE on 09/05/2025 11:59 am

123

VI. समय–समय पर राजस्व पर्षद के द्वारा परीक्षा का औचक निरीक्षण किया जा सकेगा जिसमें यदि किसी प्रकार का कदाचार एवं त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा केंद्र को निलंबित कर राजस्व पर्षद द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी।

VII. बिपार्ड, गया एवं फुलवारी शरीफ, पटना के परीक्षा केंद्रों से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र बिपार्ड से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राजस्व पर्षद द्वारा निर्गत किया जाएगा।

VIII. बिपार्ड, गया/फुलवारी शरीफ, पटना में बनाये गये अतिरिक्त परीक्षा केंद्र के लिए राजस्व पर्षद के एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मानवबल में बढ़ोत्तरी एवं Software में किए गये आवश्यक सुधार में होने वाली अतिरिक्त व्यय की राशि का भुगतान बिपार्ड द्वारा किया जाएगा।

IX. उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य शर्त्तों का निर्धारण एवं निर्धारित शर्त्तों में संशोधन का अधिकार राजस्व पर्षद में निहित होगा।

X. राजस्व पर्षद द्वारा ऑनलाईन विभागीय परीक्षा हेतु राजस्व पर्षद द्वारा पूर्व में एवं भविष्य में निर्गत अधिसूचना/संकल्प/आदेश पूर्ववत दोनों अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों पर भी लागू होंगे।

XI. औचक निरीक्षण एवं अन्य कार्य हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथावश्कता एवं अधियाचना पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति राजस्व पर्षद में की जायेगी।

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–18/प्रशि0–01–11/2022 सा0 प्र0 1302 दिनांक 18.1.23

प्रतिलिपि :–अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17.1.23

सरकार के विशेष सचिव

2023/B.K/Ltr

7

File No. AI/66/2024-EXAM-BOR (Computer No. 424655)
Generated from eOffice by DEEPAK KUMAR, BOR-ASO_EXAM(DK), ASSISTANT SECTION OFFICER, BOARD OF REVENUE on 09/05/2025 11:58 am